

District Court Durg

महिला पक्षकारों के साथ कार्यस्थल पर किये जाने वाले
मानव व्यवहार की अपेक्षा-

Do

- महिला पक्षकार से "आप/जी" में बात, धीमी आवाज में, स्पष्ट निर्देश । यदि महिला असहज / घबरायी है तो हेल्प डेस्क / महिला कर्मचारी / पी.एल. वी. की सहायता उपलब्ध कराना
- गर्भवती, वृद्ध, दिव्यांग, महिला के साथ यदि बच्चा है तो यथासंभव प्राथमिकता / बैठने की सुविधा । आवश्यक हो तो काउंटर के बजाए बैठाकर संक्षिप्त मदद देना ।
- अनावश्यक दौड़ भाग न कराना। यदि नियम अनुमति दे तो टोकन / रसीद / रजिस्टर एंट्री देकर ट्रेकिंग सुविधा
- विशेष मामलों (पॉक्सो, 376, 498 ए एवं डी.वी. एक्ट में बिना लैंगिक भेदभाव के संवेदनशीलता के साथ लैंगिक संवेदीकरण युक्त व्यवहार करना ।

Don't

- व्यक्तिगत सवाल / मोबाईल नंबर / पता / वैवाहिक स्थिति आदि अनावश्यक रूप से न पूछना।
- डांटना/ताने/व्यंग्य/ऊंची,आवाज तुम तू का संबोधन नहीं होना चाहिए ।
- महिला को अकेले कमरे / रिकार्ड रूम / एकांत में न बुलाया जाना। सहायता हेतु हमेशा ओपन काउंटर / दृश्य क्षेत्र में बातचीत करना ।
- अशोभनीय टिप्पणियां, घूरना, छेड़खानी, अश्लील / दोहरे अर्थ की बात न करना
- मामले / आदेश / तारीख की जानकारी बिना अधिकृत कारण के किसी तीसरे व्यक्ति को न देना ।

टीप- यदि महिला पक्षकार के साथ किसी न्यायालयीन कर्मचारी की वाद-विवाद की स्थिति बनती है तो कर्मचारी तुरंत पीठासीन अधिकारी के सामने उस महिला को प्रस्तुत करे ।

आदेशानुसार

महिला पक्षकारों के साथ कार्यस्थल पर किये जाने वाले मानव व्यवहार
की अपेक्षा-

1. महिला पक्षकार से "आप/जी" में बात, धीमी आवाज में, स्पष्ट निर्देश । यदि महिला असहज/ घबरायी है तो हेल्प डेस्क / महिला कर्मचारी / पी.एल. वी. की सहायता उपलब्ध कराना ।
2. गर्भवती, वृद्ध, दिव्यांग , महिला के साथ यदि बच्चा है तो यथासंभव प्राथमिकता / बैठने की सुविधा । आवश्यक हो तो काउंटर के बजाए बैठकर संक्षिप्त मदद देना ।
3. अनावश्यक दौड़ भाग न कराना । यदि नियम अनुमति दे तो टोकन/ रसीद / रजिस्टर एंट्री देकर ट्रेकिंग सुविधा ।
4. व्यक्तिगत सवाल / मोबाईल नंबर/ पता / वैवाहिक स्थिति आदि अनावश्यक रूप से न पूछना ।
5. डांटना / ताने / व्यंग्य / ऊंची आवाज / तुम - तू का संबोधन नहीं होना चाहिए ।
6. महिला को अकेले कमरे / रिकार्ड रूम / एकांत में न बुलाया जाना । सहायता हेतु हमेशा ओपन काउंटर / दृश्य क्षेत्र में बातचीत करना ।
7. अशोभनीय टिप्पणियां, घूरना, छेड़खानी, अश्लील / दोहरे अर्थ की बात न करना
8. मामले / आदेश / तारीख की जानकारी बिना अधिकृत कारण के किसी तीसरे व्यक्ति को न देना ।
9. विशेष मामलों (पॉक्सो, 376, 498 ए एवं डी.वी.एक्ट में बिना लैंगिक भेदभाव संवेदनशीलता के साथ लैंगिक संवेदीकरण युक्त व्यवहार करना ।

टीप- यदि महिला पक्षकार के साथ किसी न्यायालयीन कर्मचारी की वाद-विवाद की स्थिति बनती है तो कर्मचारी तुरंत पीठासीन अधिकारी के सामने उस महिला को प्रस्तुत करे ।

आदेशानुसार -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग